भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्नशसंख्या : 3071

उत्तर देने की तारीख: 06.08.2018

अधिक भुगतान के मामले

3071. डॉ॰ उदित राजः

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू॰जी॰सी॰) के नियमों और विनियमों का पूर्व सेवा की गणना करके प्रदान की गई पदोन्नतियों के कारण अधिक भुगतान का कोई मामला ध्यान में आया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसे मामलों में यू॰जी॰सी॰ ने संबंधित केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को अधिक भुगतान की राशि वापिस लेने के लिए लिखित अनुदेश दिए हैं और यदि हां, तो क्या अधिक भुगतान की राशि वापिस ले ली गई है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (सी॰ए॰जी॰) की आपत्तियों और यूजीसी द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों के बावजूद भी कर्मचारियों को सतत रूप से अधिक भुगतान किया जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या ऐसे लगातार अधिक भुगतान के लिए कोई जिम्मेदारी निर्धारित की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री

(डॉ. सत्य पाल सिंह)

(क) से (ड.) : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सूचित किया है कि यूजीसी विनियम का उल्लंघन करते हुए दी गई पदोन्नति के कारण जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) से संबंधित अधिक भुगतान का केवल एक मामला नोटिस में आया है और जेएनयू से भुगतान की गई अधिक राशि को वसूल करने का अनुरोध किया गया था। महानिदेशक लेखापरीक्षा (केंद्रीय व्यूय), भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग ,नई दिल्लीने यूजीसी से इसकी पुष्टि

करने को कहा है कि क्याल एसोसिएट प्रोफेसर की उक्तल पदोन्नति में यूजीसी विनियमों का उल्लंघन नहीं किया गया था।

****